(93)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/2018/प्रा.पत्र/2018	03.04.2018	07.03..2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री कमल कुमार जैन पुत्र गुलाब चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स विमल कुमार रूप चन्द जैन मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक निवासी टोंक रोड नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2– मैसर्स विमल कुमार रूप चन्द जैन मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3–श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र स्व. बाबूलाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स सुनिल कुमार मुकेश कुमार जैन बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक राज0
4– मैसर्स सुनिल कुमार मुकेश कुमार जैन बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक राज0
5–श्री चित्रेश अग्रवाल निवासी प्लॉट नं. एफ–375 रोड नं. 7 कोटा राज0 प्रोपरायटर मैसर्स कृष्णा ऑयल एफ–375 इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया भाभाशाह मण्डी के सामने कोटा राज0
6– मैसर्स कृष्णा ऑयल एफ–375 इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया भाभाशाह मण्डी के सामने कोटा राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–**निर्णय**–: **दिनांक 07.03.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2017 को समय सांय 2.42 पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स विमल कुमार रूप चन्द जैन मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री कमल कुमार जैन मैसर्स विमल कुमार रूप चन्द जैन मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में रिफाइन्ड सोयाबीन तेल श्री समर्थ ब्राण्ड टिन पैक (Refined soyabean oil Shree Samarth Brand Tin Pack) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री कमल कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कमल कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में रिफाइन्ड सोयाबीन तेल श्री समर्थ ब्राण्ड टिन पैक (Refined soyabean oil Shree Samarth Brand Tin Pack) के 5 नगो मे से 15 किलोग्राम के 1 नग टिन पैक ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतू रखे हुये मे से 1600 ग्राम रिफांइड सोयाबीन तेल श्री समर्थ बाट मापक से तुलवाकर साफ व सूखे स्टील के जग मे तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री कमल कुमार जैन को रू0 124/–अक्षरे एक सो चोबीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा खरीदशुदा रिफाइन्ड सोयाबीन तेल श्री समर्थ ब्राण्ड टिन पैक (Refined soyabean oil Shree Samarth Brand Tin Pack) 1600 ग्राम के चार भाग(400–400 ग्राम) तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग–अलग साफ व सुखे कांच के जार मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1744 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1744 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. कमल कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री कमल कुमार जैन ने मौके पर रिफाइन्ड सोयाबीन तेल श्री समर्थ ब्राण्ड टिन पैक बतोर वारन्टी मैसर्स सुनील कुमार जैन का वारंटी बिल की मूल प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4780 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/674/एक्ट/2017/672 दिनांक 30.10.2017 अनुसार कमल कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाइन्ड सोयाबीन तेल श्री समर्थ ब्राण्ड टिन पैक (Refined soyabean oil Shree Samarth Brand Tin Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का रिफाइन्ड सोयाबीन तेल श्री समर्थ ब्राण्ड टिन पैक (Refined soyabean oil Shree Samarth Brand Tin Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस रिफाइन्ड सोयाबीन तेल श्री समर्थ ब्राण्ड टिन पैक (Refined soyabean oil Shree Samarth Brand Tin Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रिफाइन्ड सोयाबीन तेल श्री समर्थ ब्राण्ड टिन पैक (Refined soyabean oil Shree Samarth Brand Tin Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी श्री कमल कुमार जैन पुत्र गुलाब चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स विमल कुमार रूप चन्द जैन मेन मार्कट नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक निवासी टोंक रोड नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर शास्ती 10,000/– (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र स्व. बाबूलाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स सुनिल कुमार मुकेश कुमार जैन बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000/– (अक्षरे दस हजार रू0) तथा अप्रार्थी श्री चित्रेश अग्रवाल निवासी प्लॉट नं. एफ–375 रोड नं. 7 कोटा राज0 प्रोपरायटर मैसर्स कृष्णा ऑयल एफ–375 इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया भाभाशाह मण्डी के सामने कोटा राज0 पर शास्ति

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

टोंक

Scanned by CamScanner

21,000/– (अक्षरे इक्कीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.03.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner